झारखंड उच्च न्यायालय रांची
(आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार)

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 889/2022

1. नीलम सेठ, उम्र लगभग **37** वर्ष, अजय सेठ की पत्नी, जागेश्वर राम की पुत्री।
2. आर्यन सेठ, कानूनी अभिभावक नीलम सेठ के माध्यम से, उम्र लगभग **8** वर्ष, अजय सेठ का पुत्र।
3. आकांशी सेठ, कानूनी अभिभावक नीलम सेठ के माध्यम से, उम्र लगभग **11** वर्ष, अजय सेठ की बेटी
सभी निवासी ग्राम- मनोहर प्रेस सोनापति गली, डाकघर झुमरी तिलैया, थाना तेलैया, जिला कोडरमा।
वर्तमान में ग्राम- सहाना रोड, पीओ एवं पीएस कोडरमा के निवासी, जिला कोडरमा**.....**
.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. अजय सेठ, उम्र लगभग **38** वर्ष, पुत्र कैलाश प्रसाद, निवासी ग्राम- मनोहर
प्रेस सोनापति गली, डाकघर झुमरीतिलैया, थाना तेलैया, जिला कोडरमा।
विरोधी दल
2. आयकर उपायुक्त, सर्कल-**1**, जिसका कार्यालय आयकर भवन, लुबी सर्कुलर रोड, टाउन धनबाद, पी.ओ. में है। एवं पी.एस. धनबाद, धनबाद, **826001**।

.....याचिकाकर्ता
(**सुनवाई** 04.01.2024 **को)**

.....
उपस्थित
कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुभाष चंद

याचिकाकर्ता : श्रीमान. श्री अविलाष कुमार, अधिवक्ता।
राज्य के लिए **:** श्रीमती नेहाला शर्मिन, विशेष पीपी
ओपी नंबर **2** के लिए **:** श्री मनोज कुमार साह, अधिवक्ता

निर्णय

CAV 04 जनवरी 2024 **सुनाया गया 1 फरवरी 2024 को**
द्वारा, सुभाष चंद, न्यायाधीश

तत्काल **आपराधिक पुनरीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125** के तहत 2017 के मूल रखरखाव मामले संख्या 48 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,

कोडरमा द्वारा पारित **निर्णय दिनांक 20.06.2022** के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से है (इसके बाद इसे कहा जाएगा) 'सी.आर.पीसी') जहां विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोडरमा के तहत विपक्षी संख्या याचिकाकर्ता- पत्नी 2 को 3,000/- रुपये प्रति माह और प्रत्येक नाबालिग बच्चे को 1,500/- रुपये राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

2. इस आपराधिक पुनरीक्षण के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपराधिक रिट याचिका की धारा 125 के तहत भरण- पोषण याचिका याचिकाकर्ताओं नीलम सेठ की ओर से खुद के लिए और अपने दो नाबालिग बच्चों याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3, आर्यन सेठ और आकांशी सेठ के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए दायर की गई थी। क्रमशः इन कथनों के साथ कहा कि उनका विवाह अजय सेठ के साथ 06.12.2010 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था और उक्त विवाह से उन्हें दो नाबालिग बच्चे हुए जो अब 8 वर्ष और 11 वर्ष के हैं।

2.1 उसके माता- पिता के प्रभाव में विपक्षी नंबर 2 ने 2 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। याचिकाकर्ता द्वारा इसके लिए असमर्थता दिखाई गई, पंचायत भी आयोजित की गई जिसमें कोई समझौता नहीं हुआ और याचिकाकर्ता को आईपीसी की **धारा 498 ए** के तहत मामला दर्ज करना पड़ा जो **थाना में 2016 का केस नंबर 1** में पंजीकृत था। मामले में जमानत के चरण में अदालत से यह तय हुआ कि अजय सेठ अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को कोडरमा में किराए के मकान में रखेगा; लेकिन कुछ समय तक रहने के बाद 18. 04. 2017 को वह याचिकाकर्ता और दो नाबालिग बच्चों को छोड़कर उस घर से चला गया। विपरीत पक्ष का झुमरी तेलैया शहर में मकान है. वह दवाइयों की बिक्री से प्रति माह 40,000/- से 45,000/- रुपये तक कमाते हैं और किराए पर दी गई तीन दुकानों का किराया उन्हें 36,000/- रुपये प्रति माह मिलता है। उपरोक्त के मद्देनजर अपने और दो नाबालिग बच्चों के लिए 25,000/- रुपये की भरण-पोषण राशि का दावा किया।

3. विपक्षी की ओर से **कारण बताओ जवाब** दायर किया गया जिसमें उन्होंने भरण-पोषण आवेदन में लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कभी भी दहेज की कोई मांग नहीं की और इसके लिए याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया। विपरीत पक्ष के माता- पिता बहुत वृद्ध हैं। याचिकाकर्ता एक मजदूर है लेकिन वह परिवार के लिए दोनों हाथों की रोटी कमाता है। विपक्षी के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जैसा कि भरण- पोषण याचिका में आरोप लगाया गया है। उपरोक्त को देखते हुए भरण-पोषण आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

4. याचिकाकर्ता की ओर से मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू 1- नीलम सेठ, पीडब्लू 2- जागेश्वर राम की जांच की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. मौखिक साक्ष्य में विपक्षी की ओर से **डी डब्ल्यू1- विनय कुमार सिन्हा, डी डब्ल्यू- संजय बर्नर्जी, डी डब्ल्यू3- गोपाल कुमार सोनकर, डी डब्ल्यू4- रोहित भाटिया, डी डब्ल्यू5- अजय सेठ और डी डब्ल्यू6- विजय कुमार सोनी** की जांच की गई। दाखिल किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में विपक्षी की ओर से पूर्णिमा टॉकीज, झुमरी तेलैया, कोडरमा के भुगतान वाउचर की रसीद, दस्तावेज़- वाई दिनांक 07.09.2021, दस्तावेज़- वाई1 दिनांक 14.09.2021, दस्तावेज़- वाई2 दिनांक 30.09.2021, दस्तावेज़- वाई3 दिनांक 21.09.2021, दस्तावेज़- वाई4

दिनांक 06.03.2022, दस्तावेज़- 5 दिनांक 14.03.2022, दस्तावेज़- वाई6 दिनांक 18.03.2022, दस्तावेज़- वाई7 दिनांक 27.03.2022, दस्तावेज़- वाई8 दिनांक 31.03.2022 एवं दस्तावेज़- एक अस्थायी नियुक्ति पत्र दिनांक 27.08.2021 दाखिल किए गए ।

6. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोडरमा ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिनांक 20.06.2022 को आक्षेपित निर्णय पारित किया।

7. आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण को इस आधार पर प्राथमिकता दी गई है कि निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में खराब है। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता-पत्नी की ओर से पेश किए गए सबूतों पर भरोसा नहीं किया, जिसमें उसने विशेष रूप से कहा था कि विपक्षी पक्ष एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में प्रति माह **40,000/-** से **45,000/-** रुपये कमाता है और उसकी किराये की भी आय होती क्योंकि उसने तीन दुकानें किराये पर दे रखी हैं। मजदूरी के संबंध में जो रसीदें विपक्षी पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई थीं, वे नकली हैं, वास्तव में विपरीत पक्ष- पति मजदूर नहीं करता है, इसलिए नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण की मात्रा उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। सबूतों की और इस आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देने और आक्षेपित निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना की और साथ ही निचली अदालत द्वारा दी गई राशि से भरण-पोषण राशि बढ़ाने की भी प्रार्थना की।

8. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है। इस आपराधिक पुनरीक्षण के निस्तारण के लिए निम्नलिखित निर्धारण बिंदु बनाये जा रहे हैं:

(i) क्या याचिकाकर्ता- पत्नी और दो नाबालिग बच्चों के लिए दी गई भरण-पोषण राशि की मात्रा विपरीत पक्ष- पति की आय और उसके परिवार के प्रति उसकी देनदारियों को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक है?

9. निर्धारण के इस बिंदु पर पार्टियों की ओर से प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा।

9.1 **पीडब्लू1- नीलम सेठ** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसका पति दवा का थोक विक्रेता है। वह प्रति माह 45,000/- से 50,000/- रुपये कमाता है। वह जनरल स्टोर भी चलाता है। जिससे उसे अच्छी आय होती है तथा दुकानें किराये पर भी दी जाती है जिससे विपक्षी को भी आय होती है। दोनों बच्चे आर्यन सेठ 8 वर्ष और आकांशी सेठ 11 वर्ष उसके साथ रहते हैं और उसके पास अपने और अपने नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

जिरह में इस गवाह का कहना है कि उसके पास दवा के थोक विक्रेता होने और विपक्षी द्वारा जनरल स्टोर चलाने के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इससे पहले अजय सेठ ने अजय फार्मा के नाम और स्टाइल से कारोबार किया था। वह कुछ नहीं करती और किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती।

9.2 **पीडब्लू2- जोगेश्वर राम** याचिकाकर्ता नीलम सेठ के पिता हैं और कहते हैं कि उनका दामाद एक व्यवसायी है। वह दवाइयों का थोक विक्रेता है, प्रति माह 40,000/- से 45,000/- रुपये कमाता है। उन्हें अपनी दुकान के किराये से भी प्रति

माह 15,000/- रुपये मिलते हैं और किराना दुकान से भी उन्हें प्रति माह 15,000/- रुपये मिलते हैं। उनके पास 1.5 एकड़ कृषि भूमि भी है।

जिरह में इस गवाह का कहना है कि उसने विपक्षी की 1.5 एकड़ कृषि भूमि के संबंध में और उसके द्वारा संचालित दुकान और किराये की दुकान के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

10. इस बिन्दु पर विपक्षी की ओर से निर्धारण के बिन्दु पर परीक्षण किया गया।

10.1 **डीडब्ल्यू-1 विनय कुमार सिन्हा,** गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि पहले अजय सेठ दवा की दुकान चलाता था, अब वह एक इलेक्ट्रिक मैकेनिक का सहायक है और उसे प्रतिदिन 250/- या 300/- रुपये मिलते हैं। - अजय सेठ के पास कोई कृषि भूमि नहीं है।

जिरह में इस गवाह का कहना है पहले अजय सेठ दवा बेचता था। यह कहना गलत है कि वह कॉस्मेटिक सामान की दुकान चलाता है. यह कहना भी गलत है कि किराये की दुकान से भी अजय सेठ को आय होती है. यह कहना गलत है कि अजय सेठ की आय 40,000/- रुपये से 50,000/- रुपये प्रति माह है। यह गवाह आगे कहता है कि **अजय सेठ पूर्णिमा टॉकीज में सर्विस करता है, उसे प्रतिदिन 330 रुपये मिलते हैं. पूर्णिमा टॉकीज की ओर से जारी नियुक्ति पत्र पूर्णिमा टॉकीज के मालिक पंकज कुमार बदानी के हस्ताक्षर से है। वह अपने हस्ताक्षर चिह्नित दस्तावेज़- ए की पहचान करता है। भुगतान वाउचर की फोटो कॉपी दिनांक 07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021, 30.09.2021,** 06.03.2022, 14.03.2022, 18.03.2022, 27.03.2022, 31.03.2022 को वाई से वाई 8 थे प्रदर्शित किया गया है। वह उनकी पहचान करता है कि यह पूर्णिमा टॉकीज़ द्वारा जारी किया गया है। यह गवाह आगे कहता है कि उसे अजय सेठ की देनदारियों के संबंध में जानकारी नहीं है। पहले अजय सेठ मेडिकल रिप्रजेंटेटिव थे। यह कहना गलत है कि वह अभी भी मेडिकल रिप्रजेंटेटिव हैं।

10.2 **डीडब्ल्यू-2 संजय बनर्जी** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि अजय सेठ मददगार थे। उन्हें प्रतिदिन 250 रुपये मिलते हैं. उन्हें महीने में 15- 20 दिन नौकरी मिलती है. अजय सेठ के पास कोई जमीन-जायदाद नहीं है।

यह कहना गलत है कि अजय सेठ की कॉस्मेटिक की दुकान है और उनकी आय 40,000/- से 50,000/- रु. है। यह कहना गलत है कि अजय सेठ की कोई किराये की आय नहीं है।

डीडब्लू-3 गोपाल कुमार सोनकर ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि अजय सेठ इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर है. उन्हें प्रतिदिन 250 रुपये मिलते हैं. उनके पास न तो कोई दुकान है और न ही जमीन-जायदाद।

जिरह में इस गवाह का कहना है कि यह कहना गलत है कि झंडा चौक पर अजय

शॉप की तीन दुकानें हैं, जहां से उन्हें प्रति माह 36 हजार रुपये मिलते हैं।

डीडब्ल्यू-4 रोहित भाटिया ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि अजय सेठ इलेक्ट्रीशियन का सहायक है और उसे प्रतिदिन 250 रुपये मिलते हैं। उनके पास कोई जमीन जायदाद या दुकान नहीं है।

जिरह में इस गवाह का कहना है कि उसे नहीं पता कि झंडा चौक पर ऐसी कौन सी दुकानें हैं, जहां से अजय सेठ को प्रतिमाह 36 हजार रुपये किराया मिलता है. यह कहना गलत है कि अजय सेठ दवा का व्यवसाय करते हैं और उन्हें प्रति माह 40,000/- से 45,000/- रुपये मिलते हैं।

DW-5 अजय सेठ ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि वह इलेक्ट्रीशियन का सहायक है और उसे प्रतिदिन 250/- रुपये मिलते हैं। उन्हें महीने में 15 से 20 दिन काम मिलता है।

जिरह में इस गवाह का कहना है कि अजय फार्मा के नाम और शैली की दुकान उसके द्वारा कभी नहीं चलाई गई थी। झुमरी तलैया में उनका कोई तीन मंजिला मकान नहीं है। यह कहना गलत है कि वह दवा का थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता है। **यह कहना गलत है कि वह जनरल स्टोर चलाता है. यह कहना गलत है कि उसे रुपये मिलते हैं। किराए की संपत्ति का किराया प्रति माह 36,000/- रुपये है और प्रति माह 40,000/- रुपये से 45,000/- रुपये कमाते हैं।** याद दिलाए जाने पर मुख्य परीक्षण में यह गवाह कहता है कि **उसे पूर्णिमा टॉकीज, झुमरी तेलैया से प्रति दिन 330 रुपये मिलते हैं। उन्हें 20 से 22 दिन काम मिलता है। जमीन- जायदाद उनकी मां के नाम पर थी, जिसमें एक घर है। पूर्णिमा टॉकीज द्वारा जारी की गई रसीदें उनके द्वारा दाखिल की जा रही हैं, जिसमें उन्हें प्रतिदिन 330/- रुपये मिलते हैं। उनकी प्राप्तियां 07.09.2021 से 21.04.2022 तक की हैं।** ये पेमेंट वाउचर पूर्णिमा टॉकीज के मैनेजर विनय कुमार सिन्हा ने भरे थे।

इसके मालिक श्री पंकज कुमार बदानी हैं। इस गवाह ने आगे की जिरह में कहा कि पूर्णिमा टॉकीज निजी संस्थान है। यह कहना गलत है कि ये रसीदें जाली हैं।

डीडब्ल्यू- 6 विजय कुमार सोनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि अजय सेठ पूर्णिमा टॉकीज में काम करते हैं। उन्हें प्रतिदिन 330 रुपये मिलते हैं. उनके पास कोई जमीन- जायदाद नहीं है. उनके पास एकमात्र घर है जो उनकी मां के नाम पर है।

जिरह में इस गवाह का कहना है कि पहले अजय सेठ मेडिकल रिप्रजेंटेटिव की नौकरी करता था। वह अपने घर से ही दवा बेचता था।

11. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि अजय सेठ पहले मेडिकल रिप्रजेंटेटिव के रूप में थोक दवाइयों की बिक्री का व्यवसाय करता था। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वह अब भी मेडिकल रिप्रजेंटेटिव की नौकरी कर रहे हैं।

12. निश्चित रूप से विरोधी पक्ष की आय की विशेष जानकारी विपक्षी पक्ष को होती है और **साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत** इसे साबित करने का भार भी उसी पर होता है। विपक्षी की ओर से कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा गया कि वह मजदूर है। उन्हें प्रतिदिन 250 रुपये मिलते हैं और महीने में 20 से 25 दिन मौखिक नौकरी मिलती है। **विपक्षी की ओर से पेश किये गये सभी गवाहों की गवाही से यह साबित हो गया कि वर्तमान समय में विपक्षी इलेक्ट्रीशियन का मददगार है। पहले उन्हें प्रतिदिन 250 रुपये मिलते थे लेकिन वर्तमान में उनका कहना है कि उन्हें प्रति दिन 330 रुपये मिलते हैं। पूर्णिमा टॉकीज, झुमरीतेलैया के मालिक द्वारा जारी रसीदों को प्रबंधक विनय कुमार सिन्हा- डीडब्ल्यू 1 द्वारा सत्यापित किया जाता है और ये रसीदें क्रमशः 2 महीने या 3 महीने से अधिक की दी जाती हैं। विनय कुमार सिन्हा- डीडब्ल्यू 1 ने कहा है कि ये रसीदें मालिक श्री पंकज कुमार बदानी द्वारा**

जारी की गई थीं ।

13. जहां तक किराए की संपत्ति या कृषि भूमि से विपरीत पक्ष की आय का सवाल है, जैसा कि याचिकाकर्ता- पत्नी की दलीलों में कहा गया है और **पीडब्लू 1- नीलम सेठ** द्वारा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष अपने बयान में भी दिया गया है; वही **उसके पिता- पीडब्लू 2** द्वारा भी अपदस्थ किया गया था; लेकिन इस आशय का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है; **जबकि विपक्षी की ओर से इसी तथ्य को सिरे से नकार दिया गया है।** विपक्षी की ओर से छह गवाहों की जांच की गई और **सभी गवाहों ने कहा कि विपक्षी के पास कोई जमीन-जायदाद नहीं है और ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिससे उसे किराए की आय मिलती हो, बल्कि सभी छह गवाहों ने बयान दिया था कि उनके पास एक सहायक बिजली मिस्त्री के रूप में आय है।**

14. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने अनुमान के आधार पर विपक्षी की आय 15,000/- रूपये प्रतिमाह आंकी है। **माना कि पत्नी कुछ नहीं कर रही है. उसके साथ दो नाबालिग बच्चे भी रहते हैं।** साक्ष्यों से यह भी ज्ञात हुआ कि **विपक्षी अपने वृद्ध माता एवं पिता का भरण-पोषण भी करता है। उन्हें बनाए रखने का दायित्व भी उसी का है।** विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा मूल्यांकन की गई आय को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता नंबर 1 की पत्नी को 3,000/- रुपये प्रति माह और दो नाबालिग बच्चों के लिए 1,500/- रुपये प्रति माह की भरण-पोषण राशि प्रदान की गई।

15. उपरोक्त के मद्देनजर, **नीचे की अदालत द्वारा दिया गया गुजारा भत्ता विपक्षी की आय और उसकी देनदारियों को देखते हुए आनुपातिक प्रतीत होता है।** इस प्रकार आक्षेपित निर्णय निम्न विद्वान न्यायालय द्वारा पारित मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किये जाने योग्य है।

16. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका यहां **खारिज कर दी गई है** और नीचे दी गई अदालत द्वारा पारित आदेश की **पुष्टि की जाती** है।

17. नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय का रिकॉर्ड फैसले की प्रति के साथ वापस भेजा जाए।

(सुभाष चंद, न्यायाधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची एएफआर

दिनांक:01.02.2024

आरकेएम